डीजी परिपत्र संख्या - 18 /2016

जावीद अहमद,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः मार्च 20 ,2016

प्रिय महोदय,

कृपया अवगत हो कि प्रदेश में वाहन चोरी की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है एवं पुलिस अधिकांश प्रकरणों में अपराधियों को पकड़ने एवं चोरी गये वाहनों की बरामदगी में सफल नही होती है। किसी गैग के पकड़े जाने के पश्चात उनसे बरामद किये गये वाहनों को उनकी चोरी से सम्बन्धित दर्ज मुकदमों से मिलान कर उनके मूल स्वामी को नियमानुसार मा0 न्यायालय से आदेश कराकर लौटाने के भी सार्थक प्रयास नही किये जाते है। फलस्वरूप ऐसे वाहन काफी संख्या में विभिन्न थानों पर एकत्र हो जाते हैं और ह्रास होता रहता है, यह स्थिति निःसन्देह चिन्ताजनक है तथा इससे पुलिस की छवि प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।

अतः यह आवश्यक है कि वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के सार्थक प्रयास किये जाये एवं वाहन चोरी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी कर इनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा बरामद किये गये वाहनों को चोरी के दर्ज मुकदमों से मिलान कर इसके मूल स्वामी को वापस किये जाय। इस हेतु आपके स्तर से कार्यवाही हेतु निम्नांकित सुझाव दिये जा रहे हैं:-

➢ पुलिस कार्यवाही हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु -

- वाहन चोरी की घटनाओं की सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त FIR अंकित की जाये। वाहन चोरी होने की सूचना प्राप्त होते ही 100 नम्बर पर नियन्त्रण कक्ष को सूचित करते हुए निर्देशित किया जाये कि जनपद के समस्त थाना/चौकियों पर चोरी गये वाहन की चेकिंग करायी जाये।
- जनपद के डी0सी0आर0बी के प्रभारी द्वारा चोरी गये वाहन के चेचिस नम्बर, मेक, वर्ष आदि सम्बन्धित थाने के विवेचक से प्राप्त कर पूर्व में एन0सी0आर0बी0 द्वारा विकसित जिपनेट वेबसाइट पर **वाहन समन्वय साफ्ट्वेयर** तथा उत्तर प्रदेश पुलिस वेबसाइट के अपराध शीर्षक के अन्तर्गत Stolen Vehicle Query पर फीडिंग करायी जाये।
- वाहनों एवं वाहन स्वामियों का विवरण जानने के लिए एन0आई0सी0 द्वारा विकसित नेशनल पोर्टल को एक्सेस करने हेतु जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों के लिए यूजर आई0डी0 प्राप्त करने हेतु इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या : 07/2016 दिनांक 03.02.2016 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये है। जनपदीय पुलिस प्रभारी से अपेक्षा की गयी थी कि वे अपने जनपद के उपयोगार्थ यूजर आई0डी0/पासवर्ड प्राप्त करे तथा जनपद के क्राइम ब्रान्च के प्रभारी राजपत्रित अधिकारी को इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी भी नियुक्त करें।
- पूर्व में जो अभियुक्त वाहन चोरी के अपराध में पकड़े गये हैं उनका फोटो सहित डोजियर थाने/डी0सी0आर0बी0 में रखा जाये। ताकि जब भी वाहन लूट की कोई घटना घटित हो तो वादी को फोटो/डोजियर दिखाकर पहचान करायी जा सके।

- वाहन चोरी के अभ्यस्थ अपराधी की हिस्ट्रीशीट खोली जाये जिसमें उसका अपराध करने के तरीक (Modus operandi) का स्पष्ट उल्लेख किया जाये। उनका सहयोग करने वाले लोग जैसे वाहन के फर्जी दस्तावेज बनाकर चोरी के वाहनों को बेचने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को भी चिन्हित किया जाये।
- वाहन चोर चोरी के उपरान्त वाहन को गैराज में ले जाते हैं जहॉ इनमें तोड़-फोड़ कर उसके रंग-रूप को बदल करके वाहन को बेचने का प्रयास किया जाता है। अतः आवश्यक है कि स्थानीय पुलिस अपने क्षेत्र के गैराजों पर भी सतर्क दृष्टि रखे।
- गैराज के अतिरिक्त चोरी से वाहन खरीदने के अड्डे जैसे कबाड़ी की दुकान, वाहनों के प्राइवेट वर्कशाप आदि पर भी सतर्क दृष्टि रखी जाये।
- जहॉ कही भी वाहन चोरों का अन्तर्जनपदीय/अन्तरराज्यीय गैंग प्रकाश में आता है तो उनका अपराधिक इतिहास संकलित कर गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये एवं अपराध करके या चोरी करके जो सम्पत्ति अर्जित की गयी है उसकी जब्तीकरण की कार्यवाही की जाये। इस प्रकार के सक्रिय अपराधियों पर 110 जी की कार्यवाही भी की जाये।
- वाहन चोरी की विवेचना गुणवत्तापरक की जाये। वाहनों के चेचिस नम्बर, रजिस्ट्रेशन नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित नही होने अथवा इसमें यदि किसी प्रकार की कूट रचना की गयी है तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला से वैज्ञानिक सहायता भी ली जाये।
- चोरी के वाहनों की बरामदगी के समय यथासम्भव स्वतन्त्र गवाह रखे जाये। विवेचनाओं का निस्तारण घटना का अनावरण करते हुए शीघ्र किया जाय।
- क्राइम मैपिंग साफ्टवेयर का उपयोग करते हुए उन स्थानों को चिन्हित किया जाये जहॉ पर सर्वाधिक संख्या में वाहनों की चोरी होती है, जैसे पार्किंग के स्थान, मेले, त्यौहार, शादी विवाह के स्थान आदि। ऐसे चिन्हित स्थानों पर उचित पुलिस व्यवस्था की जाये तथा वाहन चोरी की घटनाओं की पुनरावृत्ति होने की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा लगवाने की व्यवस्था की जाये ताकि घटना होने की स्थिति में सीसीटीवी के कैमरें की फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर उनके विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सके।
- वाहन चोरी/लूट के अभियोगों की प्रभावी ढ़ग से पैरवी करायी जाये। जब भी वाहन चोरी के अभियुक्त जमानत पर छूटे, सजा पूर्ण कर छूटे अथवा दोषमुक्त होकर छूटे तो उसके बाद बीट आरक्षी के माध्यम से थानाध्यक्ष उनपर निगरानी बनाये रखे।

➢ <u>निम्न बिन्दुओं पर जनता के व्यक्तियों को जागरूक किया जाये</u> -

- चोरी होने वाले वाहनों में अधिकांश वाहन ऐसे होते हैं जिन्हे ठीक ढंग से लॉक नही किया गया होता है। वाहनों को ठीक ढंग से लॉक करने, इंजन को चलती हालत में नही रखने एवं वाहन की चाभी को गाड़ी में नहीं छोड़ने के सम्बन्ध में वाहन स्वामी/चालक को जागरूक किया जाये।
- वाहनों में सुरक्षा की दृष्टि से विंडो इचिंग/स्टीयरिंग ह्वील लॉक/टायर लॉक/ब्रेक पैडल लॉक/क्लच पैडल लॉक, स्टीयरिंग काल्यूम कालर्स जैसे कन्वेंशनल Anti Theft Devices के साथ ही साथ नवीनतम इलेक्ट्रानिक्स डिवाइसेस के उपयोग करने हेतु वाहन स्वामियों को प्रेरित किया जाये।

- पुराने वाहनों की तुलना में नये वाहनों के चोरी होने का भय ज्यादा रहता है। अतः वाहन स्वामियों को नये वाहनों की सुरक्षा हेतु विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा जाये।
- वाहन स्वामियों/चालकों को यह भी सुझाव दिया जाये कि वह वाहन की अतिरिक्त चाभी कार में न छोड़े और न ही कीमती सामान को कार में ऐसे रखे जो बाहर से दिखायी दे और वाहन चोरों को चोरी के लिए प्रेरित करें।
- वाहन स्वामियों को विशेष रूप से प्रेरित किया जाये कि वह अपने वाहन में जीपीआरएस सिस्टम गोपनीय ढ़ग से लगवाने का प्रयास करें ताकि वाहन चोरी होने की स्थिति में वाहन को आसानी से ट्रैक किया जा सके।

उपरोक्त दिशा-निर्देश इस परिप्रेक्ष्य में केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए हैं। इनके अलावा आप अपने जनपदों की आपराधिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम की दिशा में अन्य आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतन्त्र हैं।

भवदीय

2013

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
2.पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
5.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।